राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/पे–मैनेजर/14062-14100 दिनांक 13/1/2017

कोषाधिकारी
समस्त।

विषयः– केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों जो राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर है, को सातवें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जो राज्य सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है, को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन भुगतान के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

1. केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2016 या इससे पूर्व राज्य सरकार में कार्यरत है, के संबंध में निर्णय/टिप्पणी कार्मिक विभाग से प्राप्त की जावें।
2. केन्द्र सरकार के अधिकारी/कर्मचारी जो कि सातवें वेतन आयोग में वेतन प्राप्त करते हुए राज्य सरकार में प्रतिनियुक्त हुए है, ऐसे अधिकारियों को वेतन भुगतान हेतु पृथक से ऑफलाईन बिल स्वीकृत किए जाये।

यह वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 271600583 दिनांक 02.01.2017 द्वारा अनुमोदित है।

भवदीय

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/पे–मैनेजर/ दिनांक

प्रतिलिपिः संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752